न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 140/2024

रायचन्द पुत्र गाजीराम जाति जाट साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थी

–:बनाम:–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता –– प्रार्थी
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। –– अप्रार्थी

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 28/01/2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अकिंत है।

यह कि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी–ए के खाता सं. 17/13 के प.नं. 14/326 (29) किला नं. 11, 12, 19, 20 की 1.012 हैक्ट. नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पिता गाजीराम वल्द पतराम के नाम दर्ज रिकार्ड थी । पिता गाजीराम के फौत होने के पश्चात उक्त कृषि भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज हुआ, उसके पश्चात प्रार्थी की माता, बहनो व भाई ने उक्त कृषि भूमि में अपने अपने तमाम व हिस्सा का हक त्याग प्रार्थी के पक्ष में जरिये दस्तबरदारी दिनांक 11. 03.2005 को कर दिया। मुताबिक वारीसनामा के विरास्तन नामान्तरण होने के पश्चात दस्तावेज दस्तबरदारी का नामान्तरण प्रार्थी के पक्ष में अकंन हुआ। जिसमें प्रार्थी का नाम रायचन्द वल्ज गाजीराम जाति जाट साकिन प्रेमपुरा दर्ज हुआ। प्रमाणित प्रति जमाबंदी बहक गाजीराम वल्द पतराम, रायचन्द वल्द गाजीराम सं. 2060 – 2063, प्रमाणित प्रति नामान्तरण दिनांक 20.04.2005, चित्रप्रति वारीसनामा व दस्तावेज दस्तबरदारी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि उक्त कृषि भूमि की नई जमाबंदी सं. 2064 2067 में बनी जिसमें प्रार्थी का नाम सहवन से रायचन्द के स्थान पर रामचन्द पुत्र गाजीराम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम रायचन्द पुत्र गाजीराम ही है। प्रार्थी के सही नाम रायचन्द पुत्र गाजीराम के नाम से ही नामान्तरण दर्ज हुआ था। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सं. 2064 2067 बहक रामचन्द पुत्र गाजीराम सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी के नाम [illegible] पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी–ए के खाता सं. 91/75 के प.नं. 14/326 (29) [illegible] 11, 12, 19, 20 की 1.012 हैक्ट. नहरी खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जिसमे प्रार्थी का नाम रामचन्द पुत्र गाजीराम दर्ज है। नकल [illegible] सं. 2076–2079 सलंग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:31:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी ने एचडीएफसी बैंक शाखा पीलीबंगा से केसीसी ऋण लिया हुआ है। बैंक खाता में भी प्रार्थी का नाम रायचन्द पुत्र गाजीराम है जिसकी चित्रप्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि के जमाबंदी रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रायचन्द के स्थान पर रामचन्द दर्ज होने से प्रार्थी को अन्य सरकारी सुविधाएं लेने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। इसलिये प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में रामचन्द पुत्र गाजीराम को दुरूस्त कर रामयन्द पुत्र गाजीराम दर्ज किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल दुरूस्ती के ळें यह कि अप्रार्थी जो कि भू धारक है तथा उक्त रिकार्ड की दुरूस्ती अप्रार्थी द्वारा ही की जानी है इस कारण पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी–ए के खाता सं. 91/75 के प.नं. 14/326 (29) किला नं. 11, 12, 19, 20 की 1.012 हैक्ट. नहरी खातेदारी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामचन्द पुत्र गाजीराम के स्थान पर रायचन्द पुत्र गाजीराम दुरूस्त करने के आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 32 दिनांक 10.01.2025 से प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट चक 12 एसटीबी ए में मुताबिक वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 91 में प.न. 14/326 मु.न. 29 के किला न 11–12, 19–20 कुल 1.012 हैक्ट. नहरी रामचन्द पुत्र गाजीराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. प्रेमपुरा खातेदार राहिन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा पीलीबंगा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा विरासतन एवं दस्तबरदारी से प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा जमाबंदी सं. 2060–63 में खाता संख्या 17 में उक्त रकबा रयचन्द वल्द गाजीराम कौम जाट साकिन प्रेमपुरा दर्ज है जबकी जमाबंदी सं. 2064–67 के खाता संख्या 75 में उक्त रकबा रामचन्द वल्द गाजीराम कौम जाट साकिन प्रेमपुरा खातेदार दर्ज है। यह जमाबंदी सं. 2064–67 बनाते समय सहवन से रायचन्द वल्द गाजीराम के स्थान पर रामचन्द वल्द गाजीराम गलत अंकन हुआ है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई एवं पत्रावली अवलोकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सह काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

बहस अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली अवलोकन व संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन व तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने पर स्वीकार किया जाकर चक 12 एसटीबी–ए के खाता सं. 91/75 के प.नं. 14/326 (29) किला नं. 11, 12, 19, 20 की 1.012 हैक्ट. नहरी खातेदारी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामचन्द पुत्र गाजीराम के स्थान पर रायचन्द पुत्र गाजीराम दुरूस्त किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। निर्णय सरे इजलास सूनाया गया। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:31:21 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा